नईदुनिया



बांग्लादेश में अवामी लीग की मदद के आरोप में पुलिस अफसर गिरफ्तार, 101 बैंक खाते फ्रीज

ढाका (बांग्लादेश)

अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 27 और 28 नवंबर के देशव्यापी बंद के आह्वान से तारिक रहमान सरकार की नींद उड़ी हुई। हसीना के गृह जनपद गोपालगंज की हालिया हिंसा की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अवामी लीग को पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों ने उकसाया। इस समय लीग नेताओं को पैसा भी दिया जा रहा है। इस आरोप में पुलिस की विशेष इकाई स्पेशल रिस्पान्स बटालियन (एसआरबी) के एक कंपनी कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। प्रोथोम अलो, ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा नेशनल बोर्ड आफ रेवेन्यू (एनबीआर) ने हिंसा को आर्थिक मदद देने और समर्थन करने के आरोपों के चलते 97 व्यक्तियों और चार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनमें एक पूर्व सचिव, प्रतिबंधित अवामी लीग के नेता और जन प्रतिनिधियों के खाते शामिल हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजस्व खुफिया विभाग की कार्रवाई से इस हिंसा के पीछे की साजिश का एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है। जांचकर्ता दो सवालों के जवाब तलाश रहे हैं कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों की आड़ में की गई तोड़फोड़ के पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था और क्या प्रशासन के भीतर ऐसे लोग थे जिनके राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण से यह सब हुआ खुफिया सूत्रों का कहना है कि केवल उन लोगों को गिरफ्तार करने से तोड़फोड़ की घटनाओं को दोबारा होने से नहीं रोका जा सकता, जिन्होंने सीधे तौर पर हमलों को अंजाम दिया। इसलिए, हिंसा के पीछे के संभावित आयोजकों, आर्थिक मदद देने वालों और सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक खातों को फ्रीज करना और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी करना इसी जांच का हिस्सा है। गोपालगंज में प्रतिबंधित अवामी लीग के हालिया कार्यक्रमों के दौरान हुई व्यापक तोड़फोड़ और हिंसा में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या मुकसूदपुर पुलिस स्टेशन में आगजनी के बाद, तोड़फोड़ में शामिल लोगों का पुलिस या प्रशासन के भीतर किसी व्यक्ति से संपर्क था या उन्हें वहां से कोई मदद मिली । फरीदपुर क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तोड़फोड़ के मामले में खुफिया निगरानी में रखा गया है।

न्यूज ब्रीफ

नेपाल की कृषि मंत्री गीता चौधरी ने स्कूटर से पहुंचकर मीट कोल्ड स्टोरेज का किया औचक निरीक्षण



काठमांडू। नेपाल की कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने मांस उत्पादों की स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की स्थिति जानने के लिए काठमांडू के बालाजू और सीतापाइला स्थित मीट कोल्ड स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि मंत्री चौधरी खुद स्कूटर चलाकर निरीक्षण के लिए पहुंचीं। उनके स्कूटर पर पीछे निजी सुरक्षा अधिकारी बैठे हुए थे। मंत्री चौधरी ललितपुर स्थित जावलाखेल क्वार्टर से स्कूटर चलाकर निकलीं और सबसे पहले बालाजू स्थित वैली कोल्ड स्टोर पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने सीतापाइला स्थित बुढाथोकी कोल्ड स्टोर का भी निरीक्षण किया। उनके सचिवालय की सदस्य सरिता चौधरी ने इसकी जानकारी दी। मंत्री के सचिवालय के अनुसार यह निरीक्षण 17 नवंबर से लागू किए गए 'पशु वधशाला तथा मांस जांच अधिनियम, 2026 के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया। काठमांडू घाटी के तीनों जिलों में लागू हुआ कानून सरकार ने उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काठमांडू घाटी के तीनों जिलों- काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर के सभी स्थानीय निकायों में इस कानून को औपचारिक रूप से लागू किया है। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज में मांस के भंडारण की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों के पालन की जांच की। उन्होंने उपभोक्ताओं के स्वच्छ, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण मांस का उपभोग करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य बताया।

बांग्लादेश में दो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, एक पर गोपालगंज हिंसा में शामिल होने का आरोप



ढाका (बांग्लादेश)। ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस (डीएमपी) की खुफिया शाखा ने दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 25वें बैच के अधिकारी मो. अबुल कलाम आजाद और दूसरे 33वें के मो. रकीबुल हसन हैं। डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त (खुफिया) शफीकुल इस्लाम ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश) ने अबुल कलाम आजाद की गिरफ्तारी के लिए अनुरोध भेजा था। प्रोथोम अलो, ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम ने रकीबुल हसन को गिरफ्तार करने के कारणों कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि अबुल हसन पर गोपालगंज में हाल ही में हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है। अबुल हसन स्पेशल रिस्पान्स बटालियन-14 की भैरब कंपनी में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। उनका घर गोपालगंज के मुक्सुदपुर उपजिला के गोविंदपुर में है। रकीबुल हसन भी गोपालगंज के ही रहने वाले हैं। उधर, भारत में रह रहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश लौटने के इरादे की घोषणा और अवामी लीग के बंद के दौरान हिंसा की आशंका के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि आंतरिक जानकारी लीक करने और हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं में मिलीभगत के आरोपों के संबंध में कुछ और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं।

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी, सुरक्षा यात्रा दस्तावेज को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना 16 दिसंबर 2026 को अपने देश लौटना चाहती हैं, जो विजय दिवस का भी दिन है। हालांकि, उनकी वापसी से पहले उनकी गिरफ्तारी, सुरक्षा, यात्रा दस्तावेज और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के विरोध प्रदर्शनों में हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने इस फैसले को खारिज कर दिया है, जबकि वर्तमान सरकार का कहना है कि अगर वह वापस आती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने संकेत दिया है कि हसीना के वापस लौटने पर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। 25 नवंबर 2026 को बार्डर गार्ड बांग्लादेश ने घोषणा की कि ढाका समेत आठ जिलों में 108 यूनिट तैनात की गई हैं। हसीना के गृह जिले गोपालगंज में सबसे बड़ी टुकड़ी, यानी 56 यूनिट, तैनात की हैं, और चार रिजर्व यूनिट्स को स्टैंडबाय पर रखा गया है।

नेपाल में 13 साल के बच्चों को भी काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विवाद

काठमांडू

नेपाल में 13 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को कुछ निर्धारित हल्के काम करने की अनुमति देने के सरकारी प्रस्ताव पर संसद की समिति में विवाद शुरू हो गया है। सरकार ने बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) विधेयक-2026 में माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से 13 साल के बच्चों को सीमित काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, विपक्षी सांसदों ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का श्रम या रोजगार कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। सांसदों के बीच इस बात को लेकर मतभेद सामने आए कि नेपाल में रोजगार के लिए न्यूनतम उम्र 13 साल होनी चाहिए या 15 साल। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने सरकारी प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि नेपाल में अभी भी लगभग 11 लाख बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। सरकार का उद्देश्य इस संख्या को कम करना है।

उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाकर बच्चों के काम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना समस्या का व्यावहारिक समाधान नहीं है। गरीबी, पारिवारिक परिस्थितियों और अभिभावकों की अनुपस्थिति जैसी समस्याओं के कारण कई बच्चे काम करने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में जब तक राज्य उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं होता, तब तक केवल पूर्ण प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं होगा।

मंत्री ने कहा कि विधेयक तैयार करते समय बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य,



शारीरिक और मानसिक विकास, गरीबी, पारिवारिक स्थिति तथा कानून लागू करने की सरकारी क्षमता को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा, हमने वैज्ञानिक आधार पर 13 साल की उम्र निर्धारित की है। केवल अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रावधानों का अनुसरण करने के बजाय नेपाल की परिस्थितियों के अनुसार यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल विकास से संबंधित गतिविधियों के अलावा किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकेगा। हालांकि इसमें 13 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बच्चे और उनके माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से उन्हें अनुसूची-1 में निर्धारित हल्के काम करने की अनुमति दी जा सकेगी। यह काम स्कूल के समय से पहले या बाद में अथवा छुट्टियों के दौरान ही किया जा सकेगा। इससे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित अनुसूची में पांच श्रेणियों के तहत कई तरह के काम शामिल किए गए हैं।

समिति के सभापति रहबर अंसारी ने कहा कि विधेयक को अधिक प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए और बच्चों से काम कराने वाले नियोक्ताओं के लिए इसे आर्थिक रूप से महंगा बनाया जाना चाहिए। बाल श्रम सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का माध्यम है, इसलिए जुर्माना, कानूनी जवाबदेही और पुनर्वास के प्रावधान मजबूत होने चाहिए। उन्होंने बताया कि समिति अब सांसदों की ओर से दर्ज संशोधन प्रस्तावों पर धारा-दर-धारा चर्चा करेगी और विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों तथा संबंधित मंत्रालय के साथ भी विचार-विमर्श करेगी।

हालांकि प्रस्तावित विधेयक का सत्तारूढ़ दल के कुछ सांसदों ने भी विरोध किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसदों ने विधेयक में बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करने की मांग की। सांसद सोम शर्मा ने कहा कि बाल श्रम का सीधा संबंध गरीबी, अभिभावकों की सुरक्षा की कमी और परिवार की आर्थिक स्थिति से है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम आय वाले परिवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर न हों।

आरएसपी सांसद प्रभा कार्की ने कहा कि बाल श्रम से बचाए गए बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य को तत्काल लेनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षित आवास, स्कूलों में पुन: दाखिला और घरेलू बाल श्रम पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की। बाल श्रम कराने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

सांसद प्रकाश पाठक ने शरणार्थी बच्चों और नेपाल की खुली सीमा के रास्ते आने वाले बच्चों को भी बाल श्रम से बचाने के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता बताई।

उधर, विपक्षी सीपीएन (यूएमएल) की सांसद गंगादेवी श्रेष्ठ ने कहा कि पहले सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक दिखाई देने वाला बाल श्रम अब धीरे-धीरे छिपे हुए स्थानों पर होने लगा है। उन्होंने इसके पीछे के कारणों की जांच करने की जरूरत बताई। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाओं, माता-पिता के विदेश पलायन, अभिभावकों की मृत्यु, आवासीय संस्थानों से बच्चों के बाहर आने और शिक्षा में असमान पहुंच को बाल श्रम बढ़ने के प्रमुख कारणों में शामिल किया।

इन कार्यों की अनुमति- बीज बोना, पौधे लगाना, किचन गार्डन में पानी देना, निराई-गुड़ाई करना, फूल एवं फल तोड़ना, पशुओं को चारा देना तथा दूध निकालने में सहायता करना।

यरुशलम की कोर्ट के रुख से नेतान्याहू के बेदाग होने की उम्मीद बढ़ी



यरुशलम

इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यरुशलम जिला अदालत का रुख राहत देने वाला है। अदालत ने रिश्वत लेने और अन्य आरोपों के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि अभियोजन के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल होगा। अभियोजन को सलाह है कि वह नेतन्याहू से समझौता कर ले। अदालत की इस टिप्पणी के तत्काल बाद नेतन्याहू ने मुकदमे को खत्म करने की मांग की। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने गुस्से भरे भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार के मुकदमे ने उनके परिवार और स्टाफ की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन्हें काम करने से रोकना चाहते हैं। उनसे अपील की कि विपक्ष उनके साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ले। द टाइम्स आफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार तीन जजों की टिप्पणी आने के फौरन बाद नेतन्याहू ने शाम को यरुशलम में नेसेट (इजराइली संसद) से टीवी पर बयान दिया। इससे पहले उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई कर रहे जजों ने उन पर लगे सबसे गंभीर आरोपों पर संदेह जताया और अभियोजकों को समझौता करने की सलाह दी। जिला अदालत की सलाह के बाद नेतन्याहू ने बयान में दावा किया कि सत्ता से हटाने की इस अलोकतांत्रिक कोशिश ने उनके परिवार और देश के 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। उन्होंने संबोधन की शुरुआत में कहा, यह मुकदमा बिखर गया है। दस साल पहले मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं। इस सच्चाई को सबके सामने आने में 10 साल लग गए। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा तुरंत खत्म होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जजों ने यह भी संकेत दिया कि एक अन्य मामले में शायद कोई अपराध हुआ ही नहीं है। मुकदमा शुरू होने के छह साल से भी अधिक समय बाद आया यह बयान अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। जजों की टिप्पणी को नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने अपनी बेगुनाही साबित होने के रूप में देखा है। नेतन्याहू पर तीन मामलों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत का आरोप है। उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया। इस साल की शुरुआत में उन्होंने अदालत से बिना कोई अपराध स्वीकार किए औपचारिक रूप से माफी की मांग की थी। अपने संबोधन में इजराइल की अगली सरकार के गठन को लेकर चल रही बातचीत का जिक्र करते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने विरोधियों से अपील की कि वे उनके साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाने के लिए आगे आएं।

काठमांडू के एक होटल से 50.50 लाख नेपाली रुपये के साथ एक विदेशी सहित दो गिरफ्तार



काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू के ठमेल स्थित एक होटल से पुलिस ने करीब 50.50 लाख नेपाली रुपये और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के साथ एक विदेशी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें चितवन की रहने वाली 20 वर्षीय स्नेहा रिमाल और मालदीव का नागरिक युटिथ इब्राहिम है। जिला पुलिस परिसर काठमांडू के एसपी दानबहादुर थापा के अनुसार दोनों को ठमेल स्थित स्नोलाइन होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 50 लाख 50 हजार नेपाली रुपये, 4,215 ओमानी रियाल और 55 अरब अमीराती दिरहम बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरामद रकम और विदेशी मुद्रा के स्रोत तथा दोनों आरोपितों की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आनी बाकी है।

इंडोनेशिया की अवैध सोने की खदान में आई बाढ़ से 3 की मौत, 23 लापता

खदान की गहराई, संकरा रास्ता और कम रोशनी बचाव अभियान में बन रही बाधा

जकार्ता

इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में सोने की एक अवैध खदान में अचानक आई बाढ़ से एक बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना में कम से कम 26 खनिक खदान के अंदर पानी में फंस गए, जिनमें से अब तक तीन के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 23 की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण सिसेरेह नदी का पानी खदान की सुरंगों में घुस गया, जिससे यह घटना हुई। यह खदान करीब 100 मीटर गहरी है और राजधानी जकार्ता के दक्षिण में बोगोर जिले के एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ का पानी घुसने से पहले ही 11 खनिक सुरक्षित बाहर निकल गए थे। स्थानीय खनिकों और लोगों ने शुरुआत में पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। चूंकि यह खनन गतिविधि अवैध रूप से चल रही थी, इसलिए अधिकारियों को तत्काल इसकी सूचना नहीं दी गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें बाढ़ आने के करीब 16 घंटे बाद खनिकों के फंसे होने की खबर मिली। आपदा रोधी एजेंसी के प्रमुख ने भी इस बात की पुष्टि की कि अवैध



गतिविधि के कारण जानकारी देने में देरी हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों, दमकलकर्मियों और अन्य एजेंसियों के शुरुआती आकलन के बाद जकार्ता खोज और बचाव एजेंसी को एक औपचारिक रिपोर्ट भेजी गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि खदान की अत्यधिक गहराई, अंदर जाने का संकरा रास्ता और रोशनी की सीमित व्यवस्था जैसी चुनौतियां बचाव अभियान को और भी जटिल बना रही हैं, जिससे बचावकर्मी सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। डूबचाव अभियान के दौरान पहला शव दोपहर के बाद मिला, जिसके बाद करीब एक घंटे के भीतर दो और शव बरामद हुए। तीनों शव 30 से 40 मीटर की गहराई में पाए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में अनौपचारिक खनन का काम बेहद सामान्य है, जिससे हजारों लोगों को आजीविका मिलती है। हालांकि, यह काम बेहद खतरनाक होता है, जिसमें भूस्खलन, बाढ़ और सुरंगों के ढहने का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, सोने के अयस्क के प्रसंस्करण में पारे और साइनाइड जैसे अत्यधिक जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है, और इन कार्यों में लगे श्रमिक अक्सर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं, जिससे उनके जीवन पर हमेशा जोखिम बना रहता है।

हिमालयी ग्लेशियर झीलों से बाढ़ का खतरा कम करने के लिए नेपाल, संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की, 5 करोड डालर की परियोजना, 3.85 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ

काठमांडू

नेपाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ (ग्लोफ) के खतरे को कम करने और स्थानीय समुदायों की जान-माल की सुरक्षा के लिए करीब 5 करोड डालर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

ग्लोफ संजीवनी नाम की इस परियोजना से बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में रहने वाले 3 लाख 85 हजार से अधिक लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें 55 प्रतिशत महिलाएं होंगी। वहीं, परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली नदी घाटियों के निचले इलाकों में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचेगा।

काठमांडू में आयोजित एक उद्घाटन कार्यशाला में इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत की गई। इसमें नेपाल सरकार के अधिकारियों, ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ), यूएनडीपी, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों के

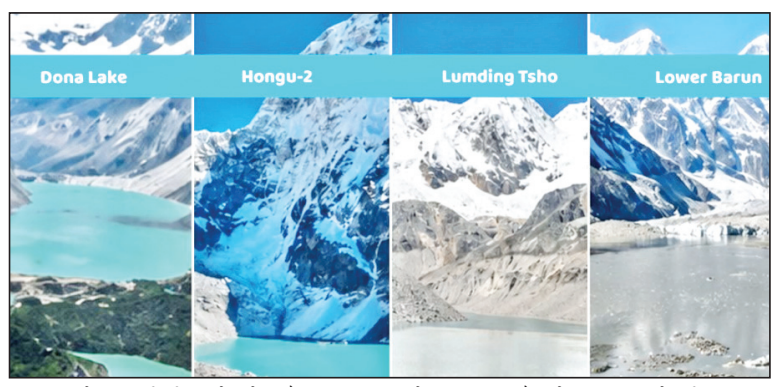

प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों और विकास साझेदारों ने हिस्सा लिया।

चार खतरनाक ग्लेशियर झीलों का जलस्तर घटाया जाएगा - परियोजना के तहत नेपाल की चार उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का जलस्तर कम किया जाएगा। इनमें मनांग जिले की दोना (थुलागी), संखुवासभा की लोअर बरुण और सोलुखुम्बु जिले की लुमडिंग त्सो तथा होंगु-2 झील शामिल हैं।

योजना के अनुसार, दोना, लोअर बरुण और लुमडिंग त्सो झीलों का जलस्तर तीन-तीन मीटर घटाया जाएगा, जबकि होंगु-2 झील का जलस्तर एक मीटर कम किया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए मौसम और जल विज्ञान संबंधी निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार, जलवायु जोखिम से संबंधित सूचना और योजना निर्माण तथा नदी घाटियों में प्राकृतिक उपायों और सुरक्षा संरचनाओं का विकास भी किया जाएगा।

ग्रीन क्लाइमेट फंड देगा 36.16 मिलियन डालर का अनुदान - जल विज्ञान तथा जल संसाधन अनुसंधान केंद्र के उपकार्यकारी निदेशक एवं प्रवक्ता डा. राजन भट्टराई के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 4.994 करोड डालर है। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड 36.16 मिलियन डालर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगा।

नेपाल सरकार 11.32 मिलियन डालर, यूएनडीपी 2.14 मिलियन डालर और निजी क्षेत्र के साझेदार 3 लाख 20 हजार डालर का सह-वित्तपोषण करेंगे।

यह परियोजना वर्ष 2026 से 2033 तक संचालित होगी। इसका क्रियान्वयन जल विज्ञान तथा जल संसाधन अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत मर्स्यांग्दी, अरुण, दूधकोशी और लोअर अरुण नदी घाटियों के संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली का भी विस्तार किया जाएगा।

आपदा आने के बाद नहीं, पहले से जोखिम कम करने पर जोर - जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय के सचिव नवीन राज सिंह ने कहा कि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकीकृत और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने जल विज्ञान तथा जल संसाधन अनुसंधान केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने और जलविद्युत परियोजना विकासकर्ताओं, निजी क्षेत्र तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यूएनडीपी की नेपाल में आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुका ने कहा कि यह परियोजना आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्यों पर निर्भर रहने के बजाय पहले से जोखिम कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।